Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड में पीएचईडी के अधिशाषी अभियंता एवं सहायक कर्मचारी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड इकाई द्वारा आज गुरूवार को झालावाड में कार्यवाही करते हुये पीएचईडी के अधिशाषी अभियंता मुकेश कुमार मोड एवं सहायक कर्मचारी रामप्रहलाद पाटीदार को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी दस माह की सैलेरी का बिल बनाने एवं पास करने की एवज में आरोपी मुकेश कुमार मोड अधिशाषी अभियंता अपने सहायक कर्मचारी रामप्रहलाद पाटीदार से ही मिलने की बात कहता है एवं सहायक कर्मचारी रामप्रहलाद पाटीदार द्वारा 13 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे हैं।

जिस पर एसीबी की झालावाड इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **मुकेश कुमार मोड** पुत्र श्री डालूराम निवासी मेहर मौहल्ला जिला झालावाड हाल **अधिशाषी अभियंता पीएचईडी** कार्यालय भवानीमंडी जिला झालावाड एवं **रामप्रहलाद पाटीदार** पुत्र श्री विष्णुलाल निवासी आजमपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड हाल **सहायक कर्मचारी पीएचईडी** कार्यालय रायपुर जिला झालावाड द्वारा परिवादी से **10 हजार रुपये रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।